[2022] 15 एस. सी. आर. 324

एमएस। पी 1 XXX

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 903)

16 जून, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 177-180 , 184 , 218 , 220 दंड संहिता, 1860 एस. एस. 376 , 504 , 506 - के खिलाफ आरोप

प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त जिसमें विशिष्ट प्रकृति के अपराध शामिल हैं, आरोपों का एक समूह दिल्ली में बलात्कार के अपराध (आई. पी. सी.) का है और आरोपों का दूसरा समूह अपीलार्थी द्वारा उसके गाँव में प्राप्त फोन कॉल पर गालियाँ देने और धमकी देने का है। जिला चमोली (ss.504,506 आई. पी. सी.), यदि एस. के संदर्भ में एक साथ परीक्षण के उद्देश्य के लिए 'एक ही लेनदेन बनाने के लिए एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला' कहा जा सकता है। 220 , सी. आर. पी. सी-आयोजितः उस पर

13.11.2015 , अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. 2 वे अपने गाँव डंगिधार, तहसील गैरसैंण, जिला चमोली में वैवाहिक गठबंधन के लिए लगे हुए थे, लेकिन शादी का प्रस्ताव अमल में नहीं आया-हालाँकि, फरवरी और मार्च, 2016 के महीनों में दिल्ली में यौन संबंधों के कथित कृत्य हुए-अन्य कथित कृत्य प्रतिवादी नं। 2 गाली देना और विस्तार करना

नवंबर, 2016 के महीने में या उसके आसपास धमकियाँ, जो अपीलार्थी को उसके गाँव में टेलीफोन पर मिलीं-विचाराधीन कार्य न तो समय पर निकटवर्ती थे और न ही निकटवर्ती थे; वे निरंतरता के भी नहीं थे-दो अलग-अलग कृत्यों में कार्यों की निरंतरता और उद्देश्य या डिजाइन के समुदाय को खोजना मुश्किल है जो अपराधों के दो अलग-अलग समूहों की ओर ले जाता है, अर्थात, एक यू / s.376 और दूसरा एसएस के तहत। 504 / 506– इस प्रकार, तथ्यों पर, कथित अपराध यू / s.376 और अन्य अपराध यू/एस. एस. 504 और 506 'एक ही लेन-देन बनाने के लिए एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला' के दायरे में नहीं आते हैं। ' इस अपील की विषय वस्तु को देखते हुए, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार के अपराध से संबंधित आरोप शामिल हैं, हमने अपीलार्थी की पहचान को छिपा दिया है और उसके नाम को शीर्षक में "सुश्री पी" अभिव्यक्ति से प्रतिस्थापित किया है। कार्यालय संबंधित प्रतियां जारी करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि अपीलार्थी की पहचान का खुलासा न हो।

एमएस। पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

एस के संदर्भ में एक साथ परीक्षण के उद्देश्य के लिए। 220 इस प्रकार सी. आर. पी. सी.

सत्र न्यायाधीश, चमोली ने प्रतिवादी नं. 2 अपराध का यू / s.376 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के लिए।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 20-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.300-प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ आरोप-अभियुक्त

अपराध यू/थे s.376 जैसा कि कथित तौर पर दिल्ली और यू/एस में किया गया था। 504 और 506 आई. पी. सी. जहाँ प्रत्यर्थी नं. 2 कथित तौर पर गाली-गलौज की

और विस्तारित धमकियाँ जो अपीलार्थी को टेलीफोन पर प्राप्त हुईं

उत्तराखंड के चमोली में उनके गाँव में-सत्र न्यायाधीश, चमोली ने प्रतिवादी नं. 2 अपराध का यू / s.376 क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर मामले को प्रतिवादी संख्या 2 के मुकदमे के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला चमोली के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 504 और आई. पी. सी. 506 जिसमें प्रत्यर्थी सं। 2 था।

बरी-आयोजितः प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यू/एस. एस. के तहत अपराधों के संबंध में मुकदमे का सामना किया है। 504 और आई. पी. सी. 506 और बरी किए जाने के बाद, समान तथ्यों पर समान आरोपों के लिए एक और मुकदमे के अधीन नहीं किया जा सकता है-ऐसी कोई भी प्रक्रिया उन तय किए गए सिद्धांतों की घोर अवहेलना होगी जो दोहरे खतरे को अस्वीकार करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में भी सटीक रूप से निहित हैं। 300 , सी. आर. पी. सी.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत संरक्षण स्पष्ट और स्पष्ट है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 461 (1) -पृथक्करण

अपराध के आरोप का पृथक्करण यू / s.376 आई. पी. सी.-न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने वाली प्रस्तुतियों की यह पंक्ति निराधार बनी हुई है और बल्कि गलत है। शब्द और वाक्यांश-"एक ही लेन-देन"-चर्चा-दो या दो से अधिक के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण

अधिनियम एक ही लेन-देन का गठन करते हैं।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 धारा 178 सी. आर. पी. सी. के प्रावधान अनिवार्य रूप से एक एकल अपराध से संबंधित हैं जो या तो आंशिक रूप से किए गए हैं। एक क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में; या में प्रतिबद्ध होना जारी है

एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र; या इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं; या जब यह अनिश्चित है कि कई क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र प्रतिबद्ध किया गया है। यह प्रावधान मुख्य रूप से एक ही अपराध के संबंध में काम करता है, जो द्विभाजित हो जाता है। एक के बाद एक अपराधों जैसे निरंतर कृत्यों या विभिन्न कृत्यों के कारण विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में या फैले हुए हैं।

निर्दिष्ट मामलों में आई. पी. सी. की धारा 498-ए या धारा 406। फिर, किसी कार्य के किसी भी कार्य के लिए अपराध होने की स्थिति में, जो किया गया है और जो परिणाम सामने आया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा179 के अनुसार, अपराध का मुकदमा उस न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है जिसके भीतर

अधिकारिता अधिनियम किया गया है या जहां के परिणाम

इस तरह की हरकत हुई है। इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. की धारा 180 के अनुसार, जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य के संबंध में अपराध है जो एक अपराध भी है, तो पूर्व का मुकदमा उस न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में से कोई भी कार्य किया जाता है। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 द्वारा परिकल्पित सामान्य नियम के लिए अपवाद प्रदान करते हैं कि प्रत्येक अपराध की सामान्य रूप से उस न्यायालय द्वारा जांच और मुकदमा चलाया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था। [पैरा 19.2] [349-ए-डी]

1.2 क्या वर्तमान में कथित कृत्यों की श्रृंखला

मामला इस तरह से एक साथ जुड़ा हुआ कहा जा सकता है कि एक ही लेन-देन का गठन करना एक विशुद्ध तथ्य का प्रश्न है और विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ अनिवार्य रूप से इस विचार पर निर्णय लिया गया है कि बलात्कार के कथित अपराध की घटना का स्थान दिल्ली में था; बलात्कार का अपराध एक निरंतर अपराध नहीं था; और प्रतिवादी नं। 2 अपीलार्थी के लिए फोन पर ऐसे अपराध नहीं थे जो बलात्कार के पहले उल्लिखित अपराध के साथ कृत्यों की एक श्रृंखला बनाते हैं। इस न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों पर विद्वान सत्र न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 के साथ उसकी सगाई गाँव में 13.11.2015 पर हुई थी।

दंगीधर, तहसील गैरसैंण, जिला चमोली; बाद में, आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 ने उसे एम. एस. के लिए दिल्ली आने के लिए कहा।

खरीदारी की और उसने ऐसा किया, हालांकि अनिच्छा से और अभियुक्त की कथित धमकी पर-प्रतिवादी संख्या 2 सगाई तोड़ने के लिए; 21.02.2016 से 24.02.2016 तक, अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित तौर पर अपीलार्थी के साथ उसकी इच्छाओं के खिलाफ और वैवाहिक गठबंधन को छोड़ने की धमकी पर यौन संबंध बनाए थे; बाद में आरोपी ने कथित तौर पर उससे रुपये लाने के लिए कहा। 25 घर के निर्माण के लिए लाखों और वह केवल पैसे प्राप्त करने पर ही शादी करेगा; अपीलार्थी की माँ ने पुलिस स्टेशन गैरसैंण में शिकायत दर्ज कराई जहाँ आरोपी-प्रतिवादी नं। 2 ने कथित तौर पर दिसंबर, 2016 के महीने में अपीलार्थी से शादी करने का आश्वासन देते हुए 01.11.2016 पर एक हलफनामा दायर किया; हालाँकि, उसने अपीलार्थी से शादी नहीं की और इसके बजाय, गालियाँ दीं और उसे जान से मारने की धमकी दी। अपीलार्थी द्वारा धारा 164 सी. आर. पी. सी. के तहत दर्ज किए गए बयान के अनुसार, वह अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 के पूछने पर 23.03.2016 पर भी दिल्ली गई थी और उस समय, अभियुक्त ने उसकी सहमति से दो बार शारीरिक संबंध बनाए, जो शादी के बहाने दिया गया था। [पैरा 21 और 22] [352-जी-एच; 353-ए-ई]

1.3 कथित घटनाओं/कृत्यों पर बारीकी से नज़र डालने से मूल विशेषता सामने आती है कि 13.11.2015 पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी

नंबर 2 अपने गाँव डंगिधार, तहसील गैरसैंण, जिला चमोली में वैवाहिक गठबंधन के लिए लगे हुए थे, लेकिन शादी का प्रस्ताव अमल में नहीं आया। हालाँकि, फरवरी और मार्च, 2016 के महीनों में दिल्ली में यौन संबंधों के कथित कृत्य हुए। अन्य कथित कृत्य नवंबर, 2016 के महीने में या उसके आसपास प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गालियाँ देने और धमकियाँ देने के थे, जो अपीलार्थी को उसके गाँव में टेलीफोन पर प्राप्त हुए थे। विचाराधीन कार्य न तो समय में निकटवर्ती थे और न ही निकटवर्ती थे; वे निरंतरता के भी नहीं थे। विशेष रूप से, जबकि अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि उसने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तावित गठबंधन को तोड़ने की धमकी के कारण यौन कृत्यों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह उसका मामला नहीं था कि

प्रतिवादी संख्या 2 ने बाद में गाली देते हुए या जान से मारने की धमकी देते हुए उसे उसी शारीरिक संबंध में मजबूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार, दो अलग-अलग कृत्यों में कार्यों और उद्देश्य या डिजाइन के समुदाय की निरंतरता का पता लगाना मुश्किल है, जिससे दो अलग-अलग अपराध होते हैं, यानी, एक आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत और दूसरा आई. पी. सी. की धारा 504/506 के तहत। इसे अलग तरह से रखते हुए, जहाँ तक [2022] 15 एस. सी. आर. के तहत बलात्कार के अपराध की ओर ले जाने वाला कार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 376 का संबंध है, भले ही आरोपों के अनुसार अपीलार्थी, वह विशेष कार्य पूरा किया गया था और अपीलार्थी को शारीरिक संबंधों के अधीन करने की मूल योजना थी

दिल्ली में फरवरी और मार्च, 2016 के महीनों में पूरा किया गया। जैसा कि देखा गया है, इस तरह की गतिविधि का कोई आरोप नहीं है बाद में जारी रखा गया या चमोली में हुआ या यहां तक कि अपीलार्थी को फिर से ऐसी गतिविधि के लिए प्रस्तुत होने की कोई धमकी भी दी गई। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक अपराध (आई. पी. सी. की धारा 376) से संबंधित पूर्ण अधिनियम को अन्य अपराधों की ओर ले जाने वाले अन्य कृत्यों से जोड़ा नहीं जा सकता था। इस मामले के तथ्यों पर, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध, जैसा कि कथित रूप से दिल्ली में किया गया था, अन्य अपराधों से अलग और अलग होने के कारण और एक ही लेन-देन का नहीं होने के कारण, चमोली की अदालतों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है। [पैरा 22.1 और 23] [353-एफ-एच; 354-ए-सी, ई-एफ]

मोहन बैथा और ओआरएस। वी. बिहार और अन्न राज्य। (2001) 4 एस. सी. सी. 350; अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

और एन. आर. (2013) 6 एससीसी 384 [2012] 13 एससीआर 901

पर भरोसा किया।

जिसके तहत अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया है, साथ ही विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कार्यवाही की वैधता भी है। इसमें है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सुझाव दिया गया है-यह बताएँ कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आरोप को अलग किया गया था।

गलत था और इस त्रुटि के कारण, मामला आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चला गया, हालांकि पूरे मामले को सत्र न्यायालय में चलाया जाना चाहिए। उस संबंध में धारा 461 सी. आर. पी. सी. का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, जिसके लिए चर्चा की गई है और आयोजित किया गया है

इससे पहले, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आरोप को अलग करने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी, फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि प्रस्तुतियों की यह पंक्ति, अपराध की वैधता पर सवाल उठाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, एम. एस. बनी रहती है।

यह आधारहीन है और काफी हद तक गलत है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आरोप को अलग करना गलत था और इस त्रुटि के कारण, मामला आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में चला गया, हालांकि पूरे मामले को सत्र न्यायालय में चलाया जाना चाहिए। उस संबंध में धारा 461 सी. आर. पी. सी. का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, यहाँ पहले जिस पर चर्चा की गई है और माना गया है, उसके लिए आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आरोप को अलग करने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी, फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने वाली प्रस्तुतियों की यह पंक्ति निराधार है और बल्कि गलत है। [पैरा 24 और 24.1] [354-एफ-एच; 355-ए-बी]

1.5 जहां तक आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट

506 आईपीसी. आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप को अलग करने के आदेश की वैधता और शुद्धता पूरी तरह से अलग मामला है, लेकिन जब तक उक्त आदेश लागू नहीं हुआ, तब तक मामले को उक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में जाना पड़ा और वह उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए बाध्य था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1-राज्य की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया जाता है। अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 धारा 504 के तहत अपराधों के संबंध में मुकदमे से गुजरा है। और 506 आई. पी. सी. और बरी होने के बाद, समान तथ्यों पर समान आरोपों के लिए एक और मुकदमे के अधीन नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया उन तय किए गए सिद्धांतों की घोर अवहेलना होगी जो दोहरे खतरे को अस्वीकार करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 में भी सटीक रूप से निहित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत संरक्षण स्पष्ट और स्पष्ट है। तथ्यों पर और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, भले ही प्रतिवादी संख्या 2 को [2022] 15 एस. सी. आर. के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया हो।

धारा 504 और 506, उस पर अधिकार क्षेत्र द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत बलात्कार के कथित अपराध के संबंध में सत्र न्यायालय, क्योंकि इस अपराध का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा नहीं चलाया जा सकता था। हालाँकि, उसे किसी भी स्थिति में आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए फिर से मुकदमे में नहीं भेजा जा सकता है। तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों पर, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत कथित अपराध और आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अन्य अपराध धारा 220 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में एक साथ मुकदमे के उद्देश्य के लिए 'एक ही लेनदेन बनाने के लिए एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला' के दायरे में नहीं आते हैं। इस प्रकार, विद्वान सत्र न्यायाधीश, चमोली ने अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध से बरी कर दिया था। [पैरा 24.1। 1 ,

24.2 , 24.3 और 25] [355-डी-एच; 356-ए; 357-डी-एफ]

सतविंदर कौर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) और

एन. आर. (1999) 8 एससीसी 728: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 328;

सुनीता कुमारी कश्यप बनाम। बिहार और अन्न राज्य। (2011)

11 एससीसी 301: [2011] 6 एससीआर 83-प्रतिष्ठित।

पंजाब राज्य बनाम। गुरमीत सिंह और अन्य। (1996) 2 एससीसी 384 [1996] 1 एस. सी. आर. 532-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

प्रतिष्ठित

[1999] 3 पूरक। एससीआर 348

पैरा 11

[1996] 1 एससीआर 532

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.1

[2011] 6 एससीआर 83

पैरा 13.1

प्रतिष्ठित

(2001) 4 एससीसी 350

उस पर भरोसा करें

पैरा 20.1

[2012] 13 एससीआर 901

उस पर भरोसा करें

पैरा 20.2

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

903 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 25.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के आपराधिक संशोधन सं. 42 में नैनीताल में उत्तराखंड सरकार द्वारा।

अभिमन्यु झांबा, सुश्री थोंपिनाव थंगल, सुश्री हटनीमावी,

आशीष झांब, सुश्री हेमलता रंगा, सुश्री मनवीन सचदेवा, समीर अली खान, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एमएस। पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

जतिंदर कुमार भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, सत्यजीत ए।

देसाई, श्रीमती अनघा एस. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, हिमांशु शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 2018 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 42 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

2017 के सत्र परीक्षण संख्या 8 में सत्र न्यायाधीश, चमोली द्वारा पारित 28.10.2017 दिनांकित आदेश के साथ, अभियुक्त को आरोपमुक्त करते हुए-प्रतिवादी संख्या।

2 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत अपराध की धारा 2 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर अभियोजन पक्ष को उपयुक्त न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के साथ-साथ अन्य अपराधों के संबंध में मामले को स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया गया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला चमोली के न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 504 और 506।

3. मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू और तथ्यात्मक मैट्रिक्स बहुत जटिलताओं के नहीं हैं, बल्कि आई. पी. सी. की धारा 376 से संबंधित अपराध के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून का संचालन है। और आरोपों का पृथक्करण, इस प्रश्न के संदर्भ में इस अपील में जांच की मांग करता है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत उक्त अपराध और आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अन्य अपराध 'इस तरह से एक साथ जुड़े कृत्यों की एक श्रृंखला' के दायरे में आते हैं

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 220 के संदर्भ में एक साथ मुकदमे के उद्देश्य के लिए एक ही लेन-देन का गठन करना? 3.

4. उपर्युक्त प्रश्न में वर्तमान मामले में अपनी विशिष्टताएँ हैं और विशिष्टताएँ भ्रमित हो गई हैं।

2 ' आई. पी. सी. ', संक्षेप में। 3 'सी. आर. पी. सी.', संक्षेप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को 'बरी' माना गया है। इस मामले के इस पहलू ने वास्तव में हमारे सामने विवाद का मुद्दा बना दिया है। सामान्य तौर पर, हम विवादित आदेश को दरकिनार कर देते और मामले को उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज देते, लेकिन विषय-वस्तु और वर्ष 2016 से इस लंबी मुकदमेबाजी में शामिल पक्षों की स्थिति को देखते हुए और इस तथ्य को भी देखते हुए कि मुकदमे के बाद, अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत उक्त अपराधों से बरी कर दिया गया है, हमने इस अपील में ही इसके गुण-दोष के आधार पर प्रासंगिक प्रश्न से निपटना उचित समझा है।
5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

5.1 . वर्तमान मामले की उत्पत्ति अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 के जुड़ाव के माध्यम से प्रस्तावित वैवाहिक गठबंधन में हुई है।

दोनों उत्तराखंड के चमोली जिले की गैरसैंण तहसील के गाँव डंगिधार (सालियाना) के निवासी हैं। मान लीजिए, वे लगे हुए थे

13.11.2015 अपने गाँव में।

5.2 . संक्षेप में कहें तो अपीलार्थी के आरोप थे कि उनकी सगाई के बाद, उन्हें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिल्ली आमंत्रित किया गया था। और फरवरी 2016 के महीने में दिल्ली में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संभोग किया गया था। अपीलार्थी ने आगे आरोप लगाया कि इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पैसे की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। और बाद में, उसने उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी भी दी। इन पहलुओं और अन्य तथ्यों/आरोपों को दायर की गई शिकायत में निर्दिष्ट किया गया था

5.3 . अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार की गई शिकायत की सामग्री, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने दिनांक 21.01.2017 के आदेश में पुनः प्रस्तुत और दोहराई गई, जो आरोपों की प्रकृति को निर्दिष्ट करेगी और 4 " संक्षेप में 'एफ़. आई. आर.'।

एमएस। पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इक्का/घटना के स्थान/घटनाएँ, उपयोगी रूप से निकाले जा सकते हैंः -

" शिकायतकर्ता द्वारा इस अदालत में शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ शिकायत दायर की जाती है, जिसमें आरोपी नरेंदर साह के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश देने की मांग की जाती है। शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता तहसील गैरसैंण का निवासी है। शिकायतकर्ता - सुश्री पी डी/ओ एस। राजीव रावत निवासी दंगीधर तहसील गैरसैंण, जिला। चमोली की सगाई नरेंद्र साह पुत्र श्री से हुई थी। धन सिंह साह निवासी गाँव धारगैर तहसील गैरसैंण, जिला चमोली, गाँव धनगीधर (सालियाना) में हिंदू अधिकार और समारोहों के अनुसार 13.11.2015 पर। इसके बाद यह कहा जाता है कि 21.12.2016 पर, आरोपी ने शिकायतकर्ता को कपड़े खरीदने के लिए दिल्ली आने के लिए कहा।

शादी की और उसे धमकी दी कि वह सगाई तोड़ देगा

अगर वह नहीं आती। शिकायतकर्ता दिल्ली गया था।

अपने चचेरे भाई टिक्का सिंह के साथ। आरोपी कश्मीरी गेट पर शिकायतकर्ता से मिला। शिकायतकर्ता का चचेरा भाई कश्मीरी गेट से ही अपने रिश्तेदार के घर गया, जबकि शिकायतकर्ता आरोपी के साथ खानपुर में उसके घर गया। इसके बाद 21.02.2016 से 24.02.2016 तक, यह कहा जाता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाए थे। अभियुक्तों द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि वे सगाई कर चुके हैं, वे अब के रूप में रह रहे हैं

पति और पत्नी। यह कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर वह उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, तो वह वैवाहिक गठबंधन बदल सकता है। घटनाओं की श्रृंखला में आरोपी ने शिकायतकर्ता को रुपये लाने के लिए भी कहा। 25 उसकी माँ से एक लाख रुपये क्योंकि आरोपी को नई दिल्ली में एक घर के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता है और वह शिकायतकर्ता से शादी करेगा।

माता ने उपरोक्त चर्चाओं का उल्लेख करते हुए पी. एस. गैरसैंण में शिकायत दर्ज कराई। यह कहा गया है कि आरोपी पुलिस स्टेशन आया और 01.11.2016 पर एक हलफनामा दायर किया जिसमें आश्वासन दिया गया कि वह दिसंबर 2016 में अपनी मंगेतर सुश्री पी. उक्त शपथपत्र में कहा गया है कि शादी करें।

अभियुक्त नरेंदर साह द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह और सुश्री पी 13.11.2015 पर लगे हुए थे और अपने व्यवसाय के कारण व्यस्त होने के कारण, अभियुक्त दिसंबर 2016 में शिकायतकर्ता से शादी करेगा। लेकिन उसके बाद उसने उससे शादी नहीं की और गाली देते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद

शिकायतकर्ता की माँ श्रीमती। शकुंतला देवी ने दायर किया

पी. एस. गैरसैंण, जिला में अभियुक्त के खिलाफ शिकायत।

चमोली

पर [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.12.2016 . चूंकि पी. एस. गैरसैंण द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए श्रीमती. शकुंतला देवी ने पुलिस अधीक्षक, जिला में शिकायत दर्ज कराई। चमोली ने 16.12.2016 दिनांकित एक शिकायत पत्र में कहा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया नरेंद्र साह के खिलाफ।
दोनों पक्षों को महिला प्रकोष्ठ गोपेश्वर में परामर्श के लिए भी भेजा गया था, लेकिन परामर्श विफल रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी शादी करने को तैयार नहीं है।

शिकायतकर्ता सुश्री पी और अभी भी रुपये की मांग कर रही है। 25 जबकि आरोपी ने शादी के बहाने न केवल सगाई की है

सुश्री पी के साथ लेकिन उसके साथ उसके खिलाफ यौन संबंध भी बनाए

इच्छा है, और फिर भी उससे शादी नहीं कर रहा है।

5.4 . उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, 2017 की एफ. आई. आर. संख्या 3 पुलिस स्टेशन, गैरसैंण में दर्ज की गई और जांच के बाद,

आई. पी. सी. की धारा 376,504 और 506 के तहत अपराधों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला चमोली की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था; और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध की संलिप्तता को देखते हुए, मामला सत्र न्यायाधीश, चमोली की अदालत को सौंपा गया था। आरोप तय करने के सवाल पर विद्वान सत्र न्यायाधीश, चमोली द्वारा पारित आदेश ने वर्तमान विवाद को जन्म दिया है। 6. सत्र न्यायाधीश, चमोली ने 2017 के सत्र परीक्षण संख्या 8 में मामले को उठाया और आरोप तय करने के लिए दलीलें सुनी गईं।

जहां, अन्य बातों के साथ-साथ, अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध से संबंधित पूरी घटना, एफ. आई. आर. में आरोप के अनुसार और पीड़ित के बयान में भी, दिल्ली में हुई थी जो चमोली में न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और इसलिए, न्यायालय का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं था।

अपराध कहा। 6.1 . दिनांक 28.10.2017 के विवादित आदेश में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की ओर से इस तरह की दलीलों पर सहमति व्यक्त की

और अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध, जो दिल्ली में हुआ था, एक निरंतर अपराध नहीं था; और आरोपी द्वारा कथित रूप से पीड़ित को जो भी धमकी दी गई थी, वह एक प्रकार का अपराध नहीं है जिसे एक ही लेनदेन की श्रृंखला में कहा जा सकता है। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के संबंध में आरोपमुक्त होने का हकदार था और इसके बाद, मामले को एम. एस. के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजना भी उचित और उचित पाया।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 से संबंधित शेष अपराध। दिनांकित 28.10.2017 आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: :

" 6. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आलोक में, मैंने जाँच के दौरान एकत्र की गई पूरी सामग्री का अध्ययन किया है। इन से जाँच के दौरान सामग्री एकत्र करना यह स्पष्ट है कि

पीड़ित और आरोपी व्यक्ति के बीच सगाई हुई थी

जिला चमोली के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, लेकिन पीड़ित और आरोपी व्यक्ति के बीच शारीरिक संबंध या यौन संभोग की घटना जैसा कि एफ. आई. आर. में आरोप लगाया गया है और Cr.P.C की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़ित के बयानों में कहा गया है।

दिल्ली में पाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि दोनों के बीच जो भी शारीरिक संबंध स्थापित किया गया था।

पीड़ित और अभियुक्त व्यक्ति दिल्ली के खानपुर में अभियुक्त के किरायेदार परिसर में थे। पीड़ित ने Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में भी इस तथ्य को दोहराया है।

कि फरवरी, 2016 के महीने में आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली में अपने बुआ से मिलवाने के लिए बुलाया था और आरोपी उसे दिल्ली के कश्मीरीगेट बस स्टेशन पर लेने आया था, जहाँ से वह उसे अपने किराए के परिसर में ले गया और उसे वहाँ 21.02.2016 से 24.02.2016 तक रखा। इस दौरान आरोपी ने अपराध करने की कोशिश की। उसके साथ बलात्कार किया और जब उसने विरोध किया तो उसने शादी का निर्णय बदलने की धमकी दी और फिर उसने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। आई. डी. 1 की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने यह भी कहा है कि 23 मार्च, 2016 को वह फिर से आरोपी के फोन पर दिल्ली गई और उस समय आरोपी ने उसकी सहमति से दो बार शारीरिक संबंध बनाए जो शादी के बहाने दिया गया था। इसलिए, जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत कथित अपराध की घटना का स्थान दिल्ली में है। बलात्कार का अपराध एक निरंतर अपराध नहीं है और आरोपी द्वारा पीड़ित को जो भी धमकी दी गई है, वह फोन पर है और यह एक प्रकार का अपराध नहीं है जिसे लेन-देन की श्रृंखला में कहा जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के पास आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अभियुक्त के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, अभियुक्त को इस मामले में आरोपमुक्त किया जा सकता है। शेष आरोप, जो आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 से संबंधित हैं, विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं हैं, जिसके लिए अभियुक्त [2022] 15 एस. सी. आर. का मामला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 208 के तहत सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है

कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए Cr.P.C।

आदेश

स्वतंत्रता के साथ क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आई. पी. सी. अभियुक्तक विरुद्ध उचित न्यायालयमे अभियोजन चलाउ।

मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित किया जाता है, पहले

Cr.P.C की धारा 208 के तहत वर्ग, गैरसैंण, जिला-चमोली। क्योंकि शेष अपराध विशेष रूप से न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं हैं।

कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए सत्र। अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है,

प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला-चमोली तर्क के लिए 22.11.2017 पर प्रभारी "।

(जोर दिया गया)

7. उपरोक्त आदेश को अपीलार्थी ने उक्त आदेश में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 42। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 25.09.2018 के विवादित आदेश में, संशोधनवादी (यानी, वर्तमान) की अनुपस्थिति में मामले पर निर्णय लेने का फैसला किया।

अपीलार्थी) और, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रकृति को भी ध्यान में रखे बिना, केवल अलंकारिक रूप से कहा कि बरी होने के मामले में, भले ही दो विचार संभव हों, अपील न्यायालय बरी होने के निष्कर्ष को तब तक उलट नहीं करेगा जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हो; और यह कि आक्षेपित आदेश में कोई विकृति, अवैधता और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं थी। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पूरा आदेश इस प्रकार हैः -

" इस संशोधन को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

इस आपराधिक संशोधन को फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है

और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28.10.2017 का आदेश 2017 राज्य बनाम सत्र परीक्षण संख्या 8 में। नरेंद्र साह, जिसके द्वारा

विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्ति को धारा के तहत बरी कर दिया

अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वतंत्रता उपयुक्त न्यायालय।

मैंने विवादित फैसले और अभिलेख में दर्ज दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

एमएस। पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह कानून का तय प्रस्ताव है कि एक मामले में जहां आरोपी को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है और भले ही दो विचार हों संभव है, अपीलीय न्यायालय की ओर से निम्नलिखित न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष को उलटना उचित और उचित नहीं है।

जब तक कि नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष विकृत न हों।

मुझे आदेश में कोई विकृति, अवैधता और अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं मिलती है।

अभिभूत।

तदनुसार, संशोधन में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज कर दिया गया है।

8. उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश वर्तमान अपील में चुनौती में हैं। संबंधित पक्षों के रुख और प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान देने से पहले, इस मोड़ पर एक और प्रासंगिक तथ्य पर ध्यान दिया जा सकता है, जो आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत उपरोक्त अपराधों के मुकदमे से संबंधित है।

9. जैसा कि देखा गया है, दिनांकित 28.10.2017 के आक्षेपित आदेश में, विद्वान सत्र न्यायाधीश, अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को आरोपमुक्त करते हुए

क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध ने आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत शेष अपराधों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 के मुकदमे के लिए मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला चमोली के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। उक्त मामले को 2017 के आपराधिक मामले संख्या 137 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमे के लिए लिया गया था। इस मुकदमे में, अपीलार्थी और अन्य गवाहों से वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई थी और अंततः, मामले का फैसला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा किया गया था। उक्त निर्णय और दिनांक 01.05.2019 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य की सराहना के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहे कि अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी और उसके परिवार को गाली दी या जान से मारने की धमकी दी। विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट का उक्त निष्कर्ष, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2 को आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया, कहता है

निम्नानुसारः -

" अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अपनी गवाही में यह नहीं कहा है कि आरोपी नरेंद्र सिंह शाह ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके परिवार को गाली दी या जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के लिए रिकॉर्ड पर दी गई गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य [2022] 15 एस. सी. आर. की धारा 504 और 506 के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं करते हैं।

आईपीसी. इस तरह अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में असमर्थ रहा

अभियुक्त के खिलाफ। भले ही अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 1 की गवाही को पी. डब्ल्यू. 6 को रिकॉर्ड पर ले जाया, लेकिन वे साबित करने में असमर्थ थे।

अभियुक्त के खिलाफ मामला कि उसने शिकायतकर्ता को गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। इसलिए आरोपी नरेंद्र शाह को धारा 504,506 के तहत अपराधों से बरी कर दिया जाता है।

आई. पी. सी. "

10. इस मामले से संबंधित भौतिक तथ्यों और प्रासंगिक आदेशों पर ध्यान देने के बाद, अब हम संबंधित आदेशों का सारांश दे सकते हैं। दलीलें, जहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुति के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 2 के आदेश का भी प्रतिवादी संख्या 1-राज्य की ओर से की गई प्रस्तुतियों में विधिवत समर्थन किया गया है; और अभियुक्त प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विधिवत प्रतिवाद किया गया।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि इस मामले में अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध से गलत तरीके से मुक्त कर दिया गया है, बिना विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह स्वीकार किए कि एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाले अपराधों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील ने विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 के साथ धारा 178 और 179 का उल्लेख किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले में, आई. पी. सी. की धारा 376,504 और 506 से संबंधित अपराध एक ही लेन-देन का हिस्सा थे और जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 28.10.2017 के आदेश में आदेश दिया गया था, उनके अलगाव का परिणाम यह हुआ है कि

न्याय की विफलता। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने सतविंदर कौर बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। राज्य

(एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) और ए. एन. आर. : (1999) 8 एससीसी 728।

11.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने शिकायत की सामग्री के विस्तृत संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया है, जैसा कि न्यायिक में कहा गया है।

मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 21.01.2017 और द्वारा दिए गए बयानों के लिए अपीलार्थी, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के मुकदमे में, यह भी शामिल है कि अपीलार्थी ने लगातार अपना रुख बनाए रखा है कि वैवाहिक गठबंधन को समाप्त करने की धमकी पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे। विद्वान वकील तर्क देंगे कि अपीलार्थी के इस सुसंगत रुख को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 पर आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, जो एम. एस. हो सकता है।

11.3 . अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि जबकि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गलती से अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया था आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के प्रतिवादी संख्या 2 ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर, उच्च न्यायालय ने इसके निष्कर्ष के रूप में कोई कारण बताए बिना याचिका को संक्षेप में खारिज कर दिया। यह आगे है

यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया है जैसे कि अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को धारा के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था

12. अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का समर्थन करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सत्र न्यायाधीश, चमोली वास्तव में मुकदमा चलाने के लिए सक्षम थे अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के साथ-साथ उक्त अपराधों के लिए आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों ने एक ही लेन-देन की श्रृंखला बनाई। राज्य के विद्वान वकील ने विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 (1) और 220 (3) के साथ पठित धारा 178 (डी), 179,180,184 का उल्लेख किया है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.1 . राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला चमोली द्वारा आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप को अलग करने के बाद आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत आरोपों के संबंध में किया गया मुकदमा धारा 461 सी. आर. पी. सी. के खंड (1) के संदर्भ में दूषित है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 376,504 और 506 के तहत अभियुक्त पर नए सिरे से मुकदमा सत्र न्यायाधीश, चमोली द्वारा चलाया जाना आवश्यक है। 12.2 . राज्य के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कुछ फैसलों का भी उल्लेख किया है कि बलात्कार के अपराध में, अभियोजन पक्ष का एकमात्र साक्ष्य, यदि यह विश्वास को प्रेरित करता है, तो बिना किसी पुष्टि की आवश्यकता के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वर्तमान मामले में, जहां अभियोजक ने प्राथमिकी में और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत बयानों में भी लगातार कहा है कि उसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शादी को रद्द करने की धमकी के तहत शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया गया था, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से बनाया गया है।

13. इसके विपरीत, अभियुक्त के विद्वान वकील-प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया है कि धारा 218 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में, विद्वान सत्र न्यायाधीश, चमोली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 के संबंध में आरोप को अलग करने का आदेश दिया है और दिल्ली में हुई कथित घटना के लिए उसी के साथ आगे नहीं बढ़े हैं।

13.1 . अभियुक्त के लिए विद्वान वकील-प्रतिवादी संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे कि धारा 218 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में, अलग शुल्क की आवश्यकता है।

अलग-अलग अपराधों के लिए तैयार किया गया है और उन पर अलग से मुकदमा चलाया जाना है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि हालांकि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 ने उत्तराखंड के चमोली जिले में अपने पैतृक स्थान पर सगाई कर ली थी, लेकिन शारीरिक संबंध या यौन संभोग की कथित घटना केवल दिल्ली में प्रतिवादी संख्या 2 के किरायेदार परिसर में हुई थी। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध को सही ढंग से अलग किया गया था और प्रतिवादी

उक्त अपराध के संबंध में चमोली में न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण सं. 2 को उचित रूप से आरोपमुक्त कर दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 और 179 के संबंध में भी, जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि कथित

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध केवल दिल्ली में हुआ था; कि बलात्कार का अपराध एक निरंतर अपराध नहीं है; और प्रतिवादी नं. 2 फोन पर अपीलार्थी के लिए एम. एस. नहीं था।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एक प्रकार का अपराध जिसे एक ही लेन-देन बनाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला कहा जा सकता है। विद्वान वकील ने सुनीता कुमारी कश्यप बनाम के मामले का उल्लेख किया है। बिहार और अन्र राज्य। : (2011) 11 एस. सी. सी. 301 और प्रस्तुत किया है कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध से संबंधित मामले को वर्तमान मामले में सही ढंग से अलग किया गया था।

13.2 . विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 से संबंधित आरोपों से विधिवत बरी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी उन आरोपों के संबंध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 01.05.2019 के बरी होने के फैसले ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और मामले के उस दृष्टिकोण से भी, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत कथित अपराध आगे कोई आधार नहीं रख सकता है।

अस्पष्ट और मनगढ़ंत कहानी और अपीलार्थी द्वारा केवल प्रस्तावित विवाह के अनुष्ठान न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 को परेशान करने और हाथ मोड़ने के लिए सामने रखी गई है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादी संख्या 2 को पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से अपीलार्थी द्वारा परेशान किया जा रहा है; कि दिल्ली में घटना की कथित तारीख से प्राथमिकी दर्ज करने में 1 साल की अत्यधिक देरी हुई थी 21.02.2016 ; कि आपराधिक तंत्र का उपयोग उत्पीड़न और प्रतिशोध के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है; और यह कि प्रतिवादी संख्या 2 का जीवन और स्वतंत्रता आधारहीन आरोपों के कारण अपीलार्थी के हाथों गंभीर जोखिम में है।

13.4 . जहाँ तक उच्च न्यायालय के विवादित आदेश की सामग्री का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि

अभिव्यक्ति 'निर्वहन' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'बरी' केवल मानवीय त्रुटि का विषय था, हालांकि चुनौती के तहत आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत जांच की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, वास्तव में, ऐसी त्रुटि अपीलार्थी की ओर से कोई सहायता नहीं होने के कारण हुई, जो उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधनवादी था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, किसी भी मामले में, ऐसी त्रुटि मामले के सार को दूर नहीं करती है कि उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के निर्वहन में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायसंगत और उचित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

15. जैसा कि देखा गया है, वर्तमान मामले में निर्धारण की मांग करने वाला प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आरोप हैं

धारा 376,504 के तहत अपराधों से संबंधित बलात्कार करने, गाली देने और धमकी देने के लिए प्रतिवादी संख्या 2

506 आई. पी. सी., को धारा 220 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में एक साथ मुकदमे के उद्देश्य के लिए 'एक ही लेनदेन बनाने के लिए एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला' कहा जा सकता है?

उनके साथ विस्तार से। यह बहुत बहस का विषय नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष पुनरीक्षण याचिका पर पूरी तरह से सरसरी सुनवाई की है तरीके से और गलत धारणा के साथ जैसे कि यह बरी करने के आदेश को चुनौती देने का मामला था। हालाँकि, जैसा कि शुरुआत में देखा गया है, इसके बजाय मामले को पुनर्विचार के लिए रिमांड करने का तरीका अपनाया गया है।

उच्च न्यायालय, हमने इस अपील में ही गुण-दोष के आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित आदेश की वैधता से संबंधित प्रासंगिक प्रश्न पर विचार करना उचित और उचित माना है। इसलिए, प्रतिद्वंद्वी दलीलों के इस हिस्से पर आगे कोई टिप्पणी किए बिना, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को केवल उसी पर छोड़ देंगे।

16.2 . एक अन्य पहलू, जो इस मामले में शामिल भौतिक प्रश्न के लिए भी परिधीय है, यह है कि बलात्कार के आरोपों की शुद्धता या अन्यथा पर प्रतिद्वंद्वी का रुख है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ लगाया गया है। जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी की ओर से तर्कों का एक लंबा सौदा ऐसे आरोपों के गुण-दोष और सहमति से संबंधित मामले को कैसे निपटाया जाना चाहिए और मूल्य और मूल्य के बारे में संबंधित है।

न्यायालय द्वारा यौन अपराध की पीड़ित के बयानों के साथ संलग्न। राज्य के विद्वान वकील भी इस तर्क में शामिल हुए हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष का एकमात्र साक्ष्य अभियुक्त को बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इन दलीलों में, अपीलार्थी के कथित सुसंगत रुख का भी उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह आग्रह किया गया है कि एमएस।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बलात्कार के आरोप एक मनगढ़ंत कहानी के हैं, जिसे केवल उसके उत्पीड़न को जारी रखने के उद्देश्य से सामने रखा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अत्यधिक देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हमारे विचार में, बलात्कार के आरोपों के गुण-दोष से संबंधित इन और सहसंबद्ध तर्कों को इस अपील में न तो किसी निर्णय की आवश्यकता है और न ही किसी टिप्पणी की। इस अपील में विचार किया जाने वाला सीमित प्रश्न विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता, अपराधों को अलग करने और अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध से मुक्त करने से संबंधित है। वर्तमान स्तर पर, इन आरोपों के गुण-दोष से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जल्दबाजी होगी। वर्तमान चरण में प्रासंगिक पहलू यह है कि जांच के बाद, धाराओं के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के अभियोजन के लिए वास्तव में आरोप पत्र दायर किया गया था।

376 , 504 और 506 आई. पी. सी. लेकिन, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार के लिए चमोली में आगे नहीं बढ़ा। इसलिए, बलात्कार के आरोपों के गुण-दोष से संबंधित दलीलों का यह हिस्सा भी केवल उसी पर छोड़ दिया गया है और आगे कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

17. अब मामले में शामिल मुख्य प्रश्न पर लौटते हुए, हमें प्रासंगिक और संदर्भित वैधानिक को समझने की आवश्यकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177,178,179,180,184,218 और 220 में निहित प्रावधान, जो निम्नानुसार हैं: -

" 177. जांच और मुकदमे का सामान्य स्थान। - प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके भीतर

यह स्थानीय अधिकार क्षेत्र में प्रतिबद्ध था।

178. जाँच या मुक़दमे का स्थान। - (क) जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कोई अपराध किया गया था, या

((ख) जहाँ कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया जाता है, या ((ग) जहां कोई अपराध निरंतर है और जारी है।

एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में प्रतिबद्ध, या

((घ) जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, वहां इसकी जांच या मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता इस पर हो।

179. अपराध विचारण योग्य जहाँ कार्य किया जाता है या परिणाम होता है आगे बढ़ते हैं। - जब कोई कार्य किसी भी चीज़ के कारण अपराध है जो [2022] 15 एस. सी. आर.

ऐसा किया गया है और जिसका परिणाम सामने आया है, अपराध की जांच या मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय न्यायालय के भीतर हो।

ऐसा कार्य अधिकारिता में किया गया है या ऐसा परिणाम हुआ है

आगे बढ़े। 180. विचारण का स्थान जहाँ अधिनियम के कारण अपराध है -

अन्य अपराध के संबंध में। - जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य के संबंध में अपराध है जो एक अपराध भी है या जो एक अपराध होगा यदि कर्ता कोई अपराध करने में सक्षम था, तो पहले उल्लिखित अपराध की जांच या मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई भी कार्य किया गया था।

184. एक साथ विचारण योग्य अपराधों के लिए विचारण का स्थान। - कहाँ?

(क) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि उस पर धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के प्रावधानों के आधार पर ऐसे प्रत्येक अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और उस पर एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ख) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या अपराध ताकि उन पर धारा 223 के प्रावधानों के आधार पर आरोप लगाया जा सके और उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सके।

अपराधों की जांच या मुकदमा किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के लिए सक्षम किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। 218. विशिष्ट अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप। - (1) प्रत्येक विशिष्ट अपराध जिसके लिए कोई व्यक्ति अभियुक्त है, उसके लिए एक अलग आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगाः

बशर्ते कि जहां अभियुक्त व्यक्ति, एक आवेदन द्वारा

लिखने के लिए, इसलिए इच्छा है और मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसे व्यक्ति के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की संभावना नहीं है जिससे मजिस्ट्रेट प्रयास कर सकता है

ऐसे लोगों के खिलाफ बनाए गए सभी या किसी भी संख्या में आरोप एक साथ

व्यक्ति।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात धारा 219,220,221 और 223 के प्रावधानों के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी।

220. एक से अधिक अपराधों के लिए मुकदमा। - (1) यदि, एक ही लेन-देन के रूप में एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला में, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो वह हो सकता है इस तरह के प्रत्येक अपराध के लिए आरोपित किया गया और एक मुकदमे में मुकदमा चलाया गया।

एमएस। पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(2) जब किसी व्यक्ति पर एक या अधिक आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया जाता है

धारा 212 की उप-धारा (2) या धारा 219 की उप-धारा (1) में उपबंधित, उस अपराध या उन अपराधों को करने में सुविधा प्रदान करने या छिपाने के उद्देश्य से, खातों को गलत साबित करने के एक या अधिक अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उस पर एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है।
(3) यदि कथित कार्य उस समय लागू किसी कानून की दो या अधिक अलग-अलग परिभाषाओं के भीतर आने वाला अपराध है जिसके द्वारा अपराधों को परिभाषित या दंडित किया जाता है, तो अभियुक्त व्यक्ति

उनमें से प्रत्येक पर आरोप लगाया जा सकता है और एक मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है।

ऐसे अपराध।

(4) यदि कई कार्य, जिनमें से एक या एक से अधिक अपने आप में एक अपराध का गठन करते हैं, जब एक अलग अपराध का गठन करते हैं, तो उन पर आरोपित व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है, और ऐसे कृत्यों द्वारा गठित अपराध के लिए एक मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है, और किसी एक या अधिक या ऐसे कृत्यों द्वारा गठित किसी भी अपराध के लिए।
(5) इस धारा में निहित कुछ भी धारा 71 को प्रभावित नहीं करेगा।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) "।

18. इस समय हम उद्धृत निर्णयों पर भी ध्यान दे सकते हैं।

उनके समर्थन में चुनाव लड़ने वाले दलों के विद्वान वकील द्वारा में शामिल मुख्य प्रश्न से संबंधित संबंधित विवाद

बात है।

18.1 . सतविंदर कौर (उपरोक्त) के मामले में, संक्षेप में तथ्य यह थे कि अपीलार्थी को पटियाला, पंजाब में उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ यातना और दहेज की मांग के आरोपों पर पुलिस स्टेशन कोटवाली, पटियाला में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, वह अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए दिल्ली आ गई। उस समय के भीतर भी, उसके पति द्वारा धमकियाँ जारी रहीं। अपीलार्थी ने महिला प्रकोष्ठ, दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई और बाद में संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज की। नई दिल्ली के पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन में आई. पी. सी. की धारा 406 और 498-ए के तहत अपराधों के लिए। अभियुक्त द्वारा थाना हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक सवाल उठाया गया था।

पश्चिम विहार, नई दिल्ली ने एफ़. आई. आर. की जाँच की क्योंकि दहेज के सामान को पटियाला में सौंपा गया था और कार्रवाई का कथित कारण पटियाला में सामने आया था। इस पर, उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया कि उक्त जांच अधिकारी [2022] 15 एस. सी. आर.

नई दिल्ली में कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालाँकि, उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार टिप्पणी की गई थीः -

" 15. इसलिए, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार करने में एक गंभीर त्रुटि की कि - जाँच अधिकारी के पास इस कथित आधार पर मामलों की जाँच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि अपराध का कोई भी हिस्सा दिल्ली पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया था। साक्ष्य की सराहना करना अदालतों का कार्य है जब मामले को जब्त कर लिया जाता है। जाँच के स्तर पर, एक जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री की न्यायिक रूप से जाँच नहीं की जा सकती है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि किसी विशेष पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन अधिकारी के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। किसी भी मामले में, यह कहा जाना चाहिए कि धारा 178 (सी) को ध्यान में रखते हुए

दंड प्रक्रिया संहिता, जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कोई अपराध किया गया था, या जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, तो उक्त अपराध की जांच या मुकदमा ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, जांच के स्तर पर यह कहना कि एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार, नई दिल्ली का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था, अवैध और गलत है। इसके अलावा, धारा 156 (2) में एक प्रतिबंध है कि किसी पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसके पास जांच करने की कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय ने कथित प्रतिबंध की पूरी तरह से अनदेखी की है जब उसने प्रत्यर्थी 2 की याचिका पर क्षेत्रीय अधिकार की कमी के आधार पर विचार किया था।

अधिकार क्षेत्र "।

18.2 . सुनीता कुमारी कश्यप (उपरोक्त) के मामले में, अपीलार्थी-पत्नी ने धारा 498-ए, 406 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

धारा 34 आई. पी. सी. और दहेज निषेध की धारा 3 और 4 के साथ पढ़ें गया में अधिनियम, 1961 यह आरोप लगाते हुए कि उसे रांची में अपने पति और ससुराल वालों के हाथों दुर्व्यवहार और क्रूरता का सामना करना पड़ा; कि उसे गया में अपने माता-पिता के घर जबरन लाया गया; कि जब उसने एक लड़की को जन्म दिया, तो उसे अतिरिक्त बोझ लाने के लिए दोषी ठहराया गया; और कुछ समय बाद, उसके पति ने एक नई मांग की कि जब तक उसके पिता उसे गया में घर नहीं देंगे, उसे रांची में उसके वैवाहिक घर वापस नहीं ले जाया जाएगा। अधिकारिता के समान प्रश्न पर,

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गया में कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं थी।

एमएस। पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कभी भी, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को मंजूरी नहीं दी और उस संदर्भ में, धारा 177,178 और 17 का उल्लेख करने के बाद

ग, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और व्याख्या कीः -

" 8 ..... उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सामान्य नियम यह है कि अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर एक

न्यायालय, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह कार्य किया गया था। हालांकि, जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कोई अपराध किया गया था या जहां कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया गया है या जहां कोई अपराध जारी है, और धारा 178 के अनुसार एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में होता है, तो ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला न्यायालय अपराध की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए सक्षम है। धारा 17 स्पष्ट करती है कि

यदि अपराध के परिणामस्वरूप कुछ हुआ है, तो उसी की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके भीतर स्थानीय

ऐसा कार्य अधिकारिता में किया गया है या ऐसा परिणाम हुआ है

आगे बढ़े "।

18.2. 1 . मामले के तथ्यों पर सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराधी के साथ दुर्व्यवहार और अपमान का अपराध एक निरंतर अपराध था; वही अधिक में किया गया था।एक स्थानीय क्षेत्र; और गया के स्थानीय क्षेत्रों में से एक, गया में विद्वान रणनीति के पास उसमें स्थापित अपराधी के साथ आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः -

" 18. ..... रांची में पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों दुर्व्यवहार और क्रूरता के बारे में अपीलार्थी पत्नी के विशिष्ट दावे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी कार्रवाई के कारण, उसे उसके पति द्वारा उनके दहेज की मांग को पूरा नहीं करने के लिए गंभीर परिणाम की धमकी के साथ गया में उसके माता-पिता के घर ले जाया गया था, हम मानते हैं कि संहिता की धारा 178 और 17 को देखते हुए, इस मामले में अपराध एक निरंतर अपराध था जो अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया गया था और गया स्थानीय क्षेत्रों में से एक था, गया के विद्वान मजिस्ट्रेट के पास इसमें स्थापित आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि अपराध एक निरंतर अपराध था और गया में प्रकरण केवल उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के निरंतर अपराध का परिणाम था।

शिकायतकर्ता के समक्ष धारा 178 का खंड (ग) आकर्षित किया जाता है। "[2022] 15 एस. सी. आर.

19. सतविंदर कौर और सुनीता कुमारी कश्यप में उपरोक्त दोनों निर्णयों की कुछ मुख्य विशेषताएं उपयोगी हो सकती हैं।

वर्णन किया।

19.1 . जैसा कि देखा गया है, सतविंदर कौर (उपरोक्त) के मामले में, जाँच के स्तर पर अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने बताया कि जांच के चरण में, सामग्री

जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई राशि की न्यायिक जांच इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नहीं की जा सकती है कि विशेष अधिकारी या किसी विशेष पुलिस स्टेशन के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 के खंड (सी) का भी उल्लेख किया है।

अपराध के क्षेत्र/क्षेत्रों की अनिश्चितता। निरंतरता में, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (2) के संदर्भ में बताया कि किसी पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को जांच करने की शक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त मामले में, अपीलार्थी ने पटियाला में यातना और दहेज की मांग के आरोप लगाए थे और यह भी आरोप लगाया गया था कि अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए दिल्ली आने के बाद, उसके पति द्वारा धमकियां जारी रहीं। शिकायत अनिवार्य रूप से आईपीसी की धारा 406 और 498-ए के तहत अपराधों की थी, चाहे वह पटियाला में हो या दिल्ली में। सुनीता कुमारी कश्यप (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177,178 और 179 के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट नियमों का सारांश दिया है, लेकिन उक्त मामले में, फिर से, शिकायत आई. पी. सी. की धारा 406 और 498-ए के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 से संबंधित अपराधों की थी, जो अनिवार्य रूप से पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार, क्रूरता और मांगों से संबंधित थी; और तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, ऐसे कार्य रांची में हुए और गया में जारी रहे। अतः, इस न्यायालय ने उक्त मामले को निरंतर अपराध पाया।

19.2 . इस तथ्य के अलावा कि सतविंदर कौर (उपरोक्त) का मामला सीमा स्तर पर अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाने का था जाँच (जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था), मौलिक

तथ्य यह है कि इनमें से प्रत्येक मामले में, आई. पी. सी. की धारा 406 और 498-ए के प्रमुख अपराधों को महिला के वैवाहिक घर में किया गया था और कथित तौर पर तब भी जारी रखा गया था जब महिला अपने माता-पिता के घर में स्थानांतरित हो गई थी। ऐसी स्थिति में, धारा 178 सी. आर. पी. सी. का खंड (सी) लागू हुआ, जो उस घटना से संबंधित है जब 'एक अपराध निरंतर है और एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया जाना जारी है'।

19.2 . धारा 178 सी. आर. पी. सी. के प्रावधान अनिवार्य रूप से एक एकल अपराध से संबंधित हैं जो या तो आंशिक रूप से एक क्षेत्र में और आंशिक रूप से किया जाता है।

दूसरे में; या एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में प्रतिबद्ध होना जारी है; या इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं; या जब यह अनिश्चित है कि कई क्षेत्रों में से कौन सा प्रतिबद्ध किया गया है। यह प्रावधान मुख्य रूप से एक ही अपराध के संबंध में काम करता है। जो निरंतर कृत्यों या विभिन्न कृत्यों के कारण एक के बाद एक विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है या फैल जाता है, जैसे कि निर्दिष्ट मामलों में आई. पी. सी. की धारा 498-ए या धारा 406 के अपराध। फिर, किसी कार्य के अपराध होने की स्थिति में, जो कुछ भी किया गया है और जो परिणाम सामने आया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा179 के अनुसार, अपराध

एक ऐसे न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिनियम किया गया है या जहां इस तरह के अधिनियम का परिणाम सामने आया है। इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. की धारा 180 के अनुसार, जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य के संबंध में अपराध है जो एक अपराध भी है, तो पूर्व का मुकदमा उस न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में से कोई भी कार्य किया जाता है। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 द्वारा परिकल्पित सामान्य नियम के लिए अपवाद प्रदान करते हैं कि प्रत्येक अपराध की सामान्य रूप से उस न्यायालय द्वारा जांच और मुकदमा चलाया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था।

19.3 . उपरोक्त दोनों निर्णय, हालांकि धारा 178 सी. आर. पी. सी. के संचालन से संबंधित हैं, वर्तमान मामले में सीधे सहायता प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति अलग है। यह नहीं है।

द्विभाजित या खण्डित या निरंतर अपराध का मामला क्रियाएँ।

20. वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति और शिकायत

अपीलार्थी द्वारा लगाए गए विभिन्न अपराधों, विभिन्न प्रकृति के और घटना के विभिन्न स्थानों के आरोपों के बारे में है, हालांकि कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति, यानी प्रतिवादी संख्या 2 और एक ही व्यक्ति, यानी अपीलार्थी और प्रस्तावित वैवाहिक गठबंधन में उनकी उत्पत्ति के खिलाफ किया गया था, जो अमल में नहीं आया। द.

आरोपों में, स्पष्ट रूप से, विशिष्ट प्रकृति के अपराध शामिल हैं क्योंकि आरोपों का एक समूह दिल्ली में बलात्कार के अपराध का है (आई. पी. सी. की धारा 376) और आरोपों का दूसरा समूह चमोली जिले में अपने गांव में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त फोन कॉल पर गालियां देने और धमकी देने का है (आई. पी. सी. की धारा 504 और 506)। ये अलग-अलग अपराध होने के कारण, धारा 184 सी. आर. पी. सी. के साथ पठित धारा 220 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में जांच किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या कथित अपराध ऐसे हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 पर [2022] 15 एस. सी. आर. के लिए एक मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।

उनमें से प्रत्येक। दूसरे शब्दों में, जैसा कि देखा गया है, इस मामले में सवाल यह है कि क्या शिकायत किए गए कार्यों को एक साथ मुकदमे के उद्देश्य से 'एक ही लेनदेन बनाने के लिए एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला' कहा जा सकता है। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ में प्रश्न से निपटने के लिए, कुछ अन्य निर्णयों में बताए गए सिद्धांतों पर उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है।

20.1 . मोहन बैठा और ओआरएस के मामले में। वी. बिहार और अन्न राज्यः (2001) 4 एस. सी. सी. 350, इस न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति

' एक ही लेन-देन, अपनी प्रकृति से, एक सटीक परिभाषा देने में असमर्थ था और यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या दो या दो से अधिक कार्य एक ही लेन-देन का गठन करते हैं, सार्वभौमिक अनुप्रयोग के किसी भी व्यापक सूत्र का प्रतिपादन करना संभव नहीं था। तथापि, इस न्यायालय ने कुछ कारकों का संकेत दिया, जो तथ्यों के दिए गए समूह में इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक होंगे। उस मामले में, मृतक के पिता की शिकायत पर, बिहार के भागलपुर जिले के नाथ नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 304-बी/34/406 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की रिपोर्ट

जाँच पूरी होने के बाद 03.04.1999 पर दर्ज किया गया था। हालाँकि, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपराध उत्तर प्रदेश राज्य के जहानागंज में हुआ था और भागलपुर की अदालत में इस पर मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी थी। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी। आगे की अपील में, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम एक ही लेन-देन के हिस्से हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 के दायरे में आता है; और भागलपुर के मजिस्ट्रेट को मामले को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 और 220 पर व्याख्या करते हुए निम्नलिखित रूप में अवलोकन और निर्धारित कियाः -

" 4 ..... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177, जिस पर श्री मिश्रा भरोसा करते हैं, "सामान्य रूप से" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। "सामान्य" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि प्रावधान एक सामान्य है और इसे दंड प्रक्रिया संहिता में निहित विशेष प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, इस न्यायालय ने यह विचार रखा है कि "सामान्य रूप से" शब्द द्वारा निहित अपवाद कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए अपवादों तक सीमित नहीं होने चाहिए और निम्नलिखित पर विचार करने पर कानून द्वारा अपवाद प्रदान किए जा सकते हैं -
एक ही न्यायालय द्वारा अपराधों के संयुक्त मुकदमे की अनुमति देने वाले कानून के अन्य प्रावधानों से सुविधा या निहित हो सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, एमएस की धारा 220 के तहत।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जा सकते हैं -

एक मुकदमे में मुकदमा चलाया गया, अगर उन्हें कृत्यों की एक श्रृंखला में रखा जा सकता है, तो

लेन-देन "अपनी प्रकृति से एक सटीक परिभाषा में असमर्थ है। इसका किसी भी कृत्रिम या तकनीकी रूप में व्याख्या करने का इरादा नहीं है।

भावना। सामान्य ज्ञान और भाषा का सामान्य उपयोग आवश्यक है।

यह तय करें कि क्या किसी विशेष मामले के तथ्यों पर, यह माना जा सकता है

एक लेन-देन में रहें। किसी का उच्चारण करना संभव नहीं है।

इस उद्देश्य के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का व्यापक सूत्र

लेन-देन। लेकिन किसी दिए गए मामले की परिस्थितियाँ इंगित करती हैं समय की निकटता, एकता या स्थान की निकटता, कार्य की निरंतरता

और उद्देश्य या डिजाइन का समुदाय निर्णय लेने के लिए कारक हैं।

क्या कुछ कार्य एक ही लेन-देन के भाग हैं या नहीं।

एक ही लेन-देन करना विशुद्ध रूप से तथ्य का सवाल है उपरोक्त मानदंडों पर निर्णय लिया गया।

(जोर दिया गया)

20.2 . मोहन बैथा (ऊपर) में उक्त निर्णय आगे दिया गया है

अंजू चौधरी के मामले में इस अदालत ने उस पर भरोसा किया

उत्तर प्रदेश और ए. एन. आर.: (2013) 6 संकेत देते हुए एस. सी. सी. 384

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए आवेदन किया जाना है कि क्या दो या

अधिनियम एक ही लेन-देन का गठन करते हैं। इस न्यायालय ने टिप्पणी की और

नीचे लिखे अनुसारः -

" 43. यह सच है कि कानून सामान्य मुकदमे या एक सामान्य प्राथमिकी को मान्यता देता है।

एक साथ जुड़े कृत्यों की एक श्रृंखला के लिए पंजीकृत होना

कोड से। कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। यह न्यायालय

मोहन बैथा बनाम। बिहार राज्य (एससीसी पीपी। 354-55 , पैरा 4)

अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति "एक ही लेनदेन" अपनी प्रकृति से

सटीक परिभाषा देने में असमर्थ है। इसकी व्याख्या करने का इरादा नहीं है किसी भी कृत्रिम या तकनीकी अर्थ में। सामान्य में सामान्य ज्ञान

भाषा के उपयोग को यह तय करना चाहिए कि किसी भाषा के तथ्यों में क्या है या नहीं।

मामला, इसे एक लेनदेन माना जा सकता है।

44. सार्वभौमिक के किसी भी सूत्र का उच्चारण करना संभव नहीं है।

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से आवेदन कि क्या दो या अधिक अधिनियम एक ही लेन-देन का गठन करते हैं। ऐसी चीजें इकट्ठी की जानी हैं [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निकटता का संकेत देने वाले किसी मामले की परिस्थितियों से

समय, एकता या स्थान की निकटता, कार्य की निरंतरता, समानता

उद्देश्य या डिजाइन। जहाँ दो घटनाएँ अलग-अलग समय की होती हैं

विभिन्न व्यक्तियों की भागीदारी के साथ, कोई समानता नहीं है

और इसका उद्देश्य अलग है और वे अलग से उभरते हैं परिस्थितियों में, अदालत के लिए विचार करना संभव नहीं होगा

कि वे एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं और इसलिए, वहाँ

एक सामान्य एफ़. आई. आर. हो सकती है या बाद की एफ़. आई. आर. की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पंजीकृत होना या सामान्य परीक्षण हो सकता है।

निरंतर कार्रवाई। इस प्रकार, जहां उद्देश्य की समानता है या डिजाइन, जहां कार्रवाई की निरंतरता है, फिर वे सभी

शामिल व्यक्ति पर एक ही या विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है।

लोग

" उसी लेन-देन के दौरान किया गया "।

(जोर दिया गया)

20.3 . इस प्रकार मोहन बैठा और अंजू में उपरोक्त निर्णयों में

चौधरी, इस न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया है कि 'एक ही लेन-देन' अभिव्यक्ति का अस्पष्ट आधार प्रतीत होता है; और इस न्यायालय ने यह भी बताया है कि यह निर्धारित करने के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सूत्र स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या दो या दो से अधिक अधिनियम एक ही लेन-देन का गठन करते हैं। हालाँकि, यह इंगित करते हुए कि क्या कार्यों की एक श्रृंखला एक ही लेनदेन बनाने के लिए एक साथ जुड़ी हुई है, यह सवाल विशुद्ध रूप से तथ्य का सवाल है, इस न्यायालय ने समय की निकटता, एकता या स्थान की निकटता, कार्रवाई की निरंतरता और उद्देश्य या डिजाइन के समुदाय जैसे मुख्य तत्वों का संकेत दिया है, जो प्रासंगिक हैं।

विचार और जब इन कारकों को सामान्य ज्ञान पर लागू किया जाता है

और भाषा के सामान्य उपयोग, 'एक ही लेन-देन' के परेशान करने वाले प्रश्न को यथोचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

21. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रकार जांच कर सकते हैं -

क्या वर्तमान मामले में कथित कृत्यों की श्रृंखला को एक साथ इतना जुड़ा हुआ कहा जा सकता है कि एक ही लेन-देन का निर्माण हो। यह विशुद्ध रूप से तथ्य का प्रश्न है और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अनिवार्य रूप से अपीलार्थी के खिलाफ इस विचार पर निर्णय लिया गया है कि - बलात्कार के कथित अपराध की घटना का स्थान दिल्ली में था; बलात्कार का अपराध एक निरंतर अपराध नहीं था; और एमएस द्वारा दी गई कथित धमकियाँ।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

22. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 के साथ उसकी सगाई 13.11.2015 पर गाँव दंगीधर में हुई थी। तहसील गैरसैंण, जिला चमोली; बाद में, अभियुक्त-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उसे खरीदारी के लिए दिल्ली आने के लिए कहा और उसने ऐसा किया, हालांकि अनिच्छा से और अभियुक्त की कथित धमकी पर-प्रत्यर्थी संख्या 2 सगाई तोड़ने के लिए; 21.02.2016 से 24.02.2016 तक, अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित रूप से अपीलार्थी के साथ उसकी इच्छाओं के विरुद्ध और वैवाहिक गठबंधन को छोड़ने की धमकी पर यौन संबंध बनाए थे; बाद में आरोपी ने कथित तौर पर उससे रुपये लाने के लिए कहा। 25 लाख के लिए

घर का निर्माण और वह केवल पैसे प्राप्त करने पर ही शादी करेगा; अपीलार्थी की माँ ने पुलिस स्टेशन गैरसैंण में शिकायत दर्ज कराई जहाँ आरोपी-प्रतिवादी नं। 2 ने कथित तौर पर दिसंबर, 2016 के महीने में अपीलार्थी से शादी करने का आश्वासन देते हुए 01.11.2016 पर एक हलफनामा दायर किया; हालाँकि, उसने अपीलार्थी से शादी नहीं की और इसके बजाय गालियाँ दीं और धमकी दी।

उसे मारने के लिए। अपीलार्थी द्वारा धारा 164 सी. आर. पी. सी. के तहत दर्ज किए गए बयान के अनुसार, वह अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 के पूछने पर 23.03.2016 पर भी दिल्ली गई थी और उस समय, अभियुक्त ने उसकी सहमति से दो बार शारीरिक संबंध बनाए, जो शादी के बहाने दिया गया था।

गैरसैंण, जिला चमोली लेकिन, शादी का प्रस्ताव अमल में नहीं आया। हालाँकि, फरवरी और मार्च, 2016 के महीनों में दिल्ली में यौन संबंधों के कथित कृत्य हुए। अन्य कथित कृत्य नवंबर, 2016 के महीने में या उसके आसपास प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गालियाँ देने और धमकियाँ देने के थे, जो अपीलार्थी को उसके गाँव में टेलीफोन पर प्राप्त हुए थे। विचाराधीन अधिनियम न तो निकटवर्ती थे समय और न ही निकटवर्ती; वे निरंतरता के भी नहीं थे। उल्लेखनीय है, जबकि अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि उसने यौन कृत्यों को स्वीकार कर लिया था

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तावित गठबंधन को तोड़ने की धमकी के कारण, लेकिन यह उसका मामला नहीं था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रयास किया

बाद में गाली देते हुए या जान से मारने की धमकी देते हुए उसे उसी शारीरिक संबंध में मजबूर करना। इस प्रकार, [2022] 15 एस. सी. आर. खोजना मुश्किल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो अलग-अलग कृत्यों में कार्यों की निरंतरता और उद्देश्य या डिजाइन का समुदाय दो अलग-अलग अपराधों की ओर ले जाता है, यानी एक आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत और दूसरा आई. पी. सी. की धारा 504/506 के तहत। इसे अलग तरीके से कहें तो

22.2 . जिस भी कोण से हम मामले की जांच करते हैं, तथ्यों के दिए गए समूह में, कथित कृत्यों को एक साथ जोड़ना मुश्किल है ताकि एक ही लेन-देन हो सके। इसे एक सरल मुहावरे में रखने के लिए, दो कथित कृत्य, एक यौन शोषण का, जो बलात्कार के अपराध (आई. पी. सी. की धारा 376) की ओर ले जाता है और दूसरा दुर्व्यवहार और धमकी देने का, जो अपमान और धमकी के अपराधों की ओर ले जाता है (आई. पी. सी. की धारा 504/506), चाक और चीज़ की तरह हैं; उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है ताकि इस मामले के तथ्यों पर एक ही लेन-देन हो सके। 23. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण हमें इस बात की सराहना करता है कि इसके तथ्यों पर

इस मामले में, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध, जैसा कि कथित रूप से दिल्ली में किया गया था, अन्य अपराधों से अलग और अलग होने के कारण और एक ही लेन-देन का नहीं होने के कारण, चमोली की अदालतों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है। 24. इस मामले का एक अन्य पहलू पारित किए गए 01.05.2019 के फैसले और आदेश के प्रभाव, निहितार्थ और परिणामों से संबंधित है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरसैंण, जिला चमोली द्वारा 2017 के आपराधिक मामला संख्या 137 में, जिसके तहत अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया है, साथ ही विद्वान न्यायिक के समक्ष ऐसी कार्यवाही की वैधता भी है।

मजिस्ट्रेट।

24.1 . प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि धारा 376 के तहत अपराध के आरोप को अलग किया जाए। आई. पी. सी. गलत था और इस त्रुटि के कारण मामला एम. एस. के पास गया।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए, हालांकि पूरे मामले को सत्र न्यायालय में चलाया जाना चाहिए। उस संबंध में धारा 461 सी. आर. पी. सी. का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, यहाँ पहले जिस पर चर्चा की गई है और माना गया है, उसके लिए आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आरोप को अलग करने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी, फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने वाली प्रस्तुतियों की यह पंक्ति निराधार है और बल्कि गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 461 अपने खंड (1) पर निर्भर होने के साथ निम्नानुसार हैः -

" 461. अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं। - अगर कोई मजिस्ट्रेट, इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त नहीं होने के कारण, क्या करता है

निम्नलिखित चीजों में से, अर्थात्ः - (1) एक अपराधी की कोशिश करता है;

उसकी कार्यवाही शून्य होगी। "

24.1. 1 . जहां तक आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट

इन अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए कानून द्वारा सशक्त नहीं है। बल्कि, आई. पी. सी. की धारा 504 के तहत अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। वर्तमान मामले में, कथित धमकी मौत का कारण बनने की थी जो आई. पी. सी. की धारा 506 के भाग II से संबंधित है और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मामले की सुनवाई करने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट के पास धाराओं के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए किसी भी तरह से शक्ति और अधिकार की कमी थी

504 और 506 आई. पी. सी. आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप को अलग करने के आदेश की वैधता और शुद्धता पूरी तरह से अलग मामला है, लेकिन जब तक उक्त आदेश लागू नहीं हुआ, तब तक मामले को उक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में जाना पड़ा और वह उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए बाध्य था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1-राज्य की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

24.2 . हम यह भी देख सकते हैं कि अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 धारा 504 के तहत अपराधों के संबंध में मुकदमे से गुजरा है। और आई. पी. सी. 506 और बरी किए जाने के बाद, समान तथ्यों पर समान आरोपों के लिए एक और मुकदमे के अधीन नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया

उन तय किए गए सिद्धांतों की घोर अवहेलना करें जो दोहरे खतरे को अस्वीकार करते हैं और संविधान [2022] 15 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 20 (2) में सटीक रूप से निहित हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 के साथ भी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत रोटेशन निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट हैः -

" 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। - (2) इसके लिए किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

एक से अधिक बार अपराध।

24.2. 1 . दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 में कहा गया हैः -

" 300. एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने के बाद व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा

उसी अपराध के लिए। -

(1) एक व्यक्ति जिस पर एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया हो

किसी अपराध के लिए अधिकारिता और ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया या बरी कर दिया गया

अपराध, जबकि ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति लागू रहती है, उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न ही उसी तथ्यों पर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए एक अलग आरोप है।

(2) किसी भी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति को इसके बाद राज्य सरकार की सहमति से किसी भी विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसके लिए धारा की उप-धारा (1) के तहत पूर्व मुकदमे में उसके खिलाफ एक अलग आरोप लगाया जा सकता था।

220 .

(3) परिणाम देने वाले किसी कार्य द्वारा गठित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति, जो ऐसे कार्य के साथ मिलकर एक अलग अपराध का गठन करता है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था, पर बाद में ऐसे अंतिम उल्लिखित अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि - परिणाम नहीं हुए थे या अदालत को पता नहीं था

ऐसा उस समय हुआ था जब उसे दोषी ठहराया गया था। (4) एक व्यक्ति जिसे किसी भी कार्य द्वारा गठित किसी भी अपराध से बरी या दोषी ठहराया गया है, ऐसे बरी होने या दोषसिद्धि के बावजूद,

बाद में किसी अन्य अपराध के लिए आरोपित किया गया और मुकदमा चलाया गया उन्हीं कृत्यों द्वारा गठित किया गया जो उसने किया होगा यदि एमएस।

पी. XXX वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जिस न्यायालय में उन पर पहली बार मुकदमा चलाया गया था, वह मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं था

उसी अपराध के लिए, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसके द्वारा उसे आरोपमुक्त किया गया था या किसी अन्य न्यायालय के जिसके लिए पहला उल्लिखित न्यायालय अधीनस्थ है। (6) इस धारा की कोई भी बात सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 188 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण। - किसी शिकायत को खारिज करना या अभियुक्त को आरोपमुक्त करना इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्त नहीं है।

आई. पी. सी., क्योंकि इस अपराध का मुकदमा न्यायिक द्वारा नहीं चलाया जा सकता था मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। हालाँकि, उसे फिर से मुकदमे के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

25. पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों में, धारा 376 के तहत कथित अपराध आई. पी. सी. और आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अन्य अपराध एक साथ जुड़े कृत्यों की एक श्रृंखला के दायरे में नहीं आते हैं।

धारा 220 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में एक साथ परीक्षण के उद्देश्य के लिए एक ही लेनदेन का गठन करें। इस प्रकार, विद्वान सत्र न्यायाधीश, चमोली ने अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध से बरी कर दिया था।

26. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)